

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संख्या: ४२ अखण्ड कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा से की प्रेषित करने के लिए किया गया प्रशासनिक संकेत है।  
सम्बन्धित विवरण पर सवि पूर्ण से पर प्रकाशित हुआ है तो पर प्रकाशित एवं विवरण प्रकाशित किया जाये प्रेषित संकेत है।



संख्या : कुलसचिव  
दस्तावेज : (०७५१) २३४/१९६  
(०७५१) २४४२०२९  
दिनांक : (०७५१) २३४/१९६

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर  
संख्यांक/एफ/सम्बद्धता/२०१२/५९०१

Re: 24/1/13

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संलग्न विज्ञानशास्त्र इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर (०७५१-४०२४०९५) को सत्र २०१२-१३ के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस.-सी (माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक) एवं एम. कॉम, धातुशास्त्र कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थावी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वामी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के परिधेनियम २१(१०) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (१) प्रो. आर.एम. अग्रवाल, आचार्य, वनस्पतिकी अध्ययनशाळा, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(०७५१-२४४२७३४)
- (२) डॉ. रमेश भास्करन्त, उपाचार्य, नारोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाळा, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (३) डॉ. एस.जे. सिंह, आचार्य, गणित एवं प्रबंध अध्ययनशाळा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिधेनियम २१/२४ के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर भुक्त, बरौदार और, बांकेल शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं प्राध्यापक/अध्यापिका तथा पिछले सत्र में डी जर्ह शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्वामी समिति की बैठक दिनांक २६ सितम्बर २०१२ के पद क्रमांक ६० (अ-अ-२) पर लिखे गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा ३० दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर १५ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) ४५ दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा भी जाने वाली अस्थावी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का यत्न सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के ४५ दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा करके नवीन समिति गठित की जायेगी। जिसे १५ दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनिपज २१(११)(७) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त विश्व विद्यालयों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यलय सहायक पत्रपत्नी लेखन लावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को पी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

१. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
२. प्राचार्य/पाठ्य, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
३. आयुक्त उच्च शिक्षा, उत्तरप्रदेश भवन, गोंयाल
४. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)